



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2011 ई0
चैत्र 10, 1933 शक सम्बत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 125/XXXVI(3)/2010/30(1)/2011

देहरादून, 31 मार्च, 2011

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011” पर दिनांक 29 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2011 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2011)

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 का उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :-

1-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम
का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, वर्ष 1975) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में जहाँ-जहाँ शब्द "उत्तरांचल" या "उत्तर प्रदेश" आया है, वहाँ-वहाँ वह शब्द "उत्तराखण्ड" रख दिया जायेगा।

व्यावृत्ति

3-ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of "The Uttarakhand Forest Development Corporation (Amendment) Act, 2011" (Adhiniyam Sankhya 04 of 2011):

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on March 29, 2011.

No. 125/XXXVI(3)/2010/30(1)/2011

Dated Dehradun, March 31, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2011

(UTTARAKHAND ACT No. 04 OF 2011)

To Further amend The Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974, to the context of State of Uttarakhand

AN

Act

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:--

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Short title and Commencement | 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Forest Development Corporation (Amendment) Act, 2011.
(2) It shall come into force at once. |
| Amendment of Principal Act | 2. In the Uttar Pradesh Forest Development Act, 1974 (Uttar Pradesh Act No. 4 of 1975) (As applicable to the State of Uttarakhand), the words "Uttaranchal" or "Uttar Pradesh" wherever occurs, the words "Uttarakhand" shall be substituted. |
| Saving | 3. Notwithstanding such amendment anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act. |

By Order,

RAM SINGH,
Principal Secretary.